रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

CK 30/5/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 1986/चैत्र 25, 1908
No. 192] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 1986/CHAITRA 25, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1986

स. 246/86—सीमा शुल्क

सा. का. नि. 630(अ)—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा

करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना सं. 61/86--सीमा शुल्क, तारीख 17 फरवरी, 1986, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में,—

(i) क्रम स. 7 के सामने, स्तंभ (2) में, "7213.20", "7215.10" अंकों का लोप किया जाएगा।

(ii) क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"7क.	7213.20 7214.30 7215.10	सुकर्तनीय इस्पात की शलाकाएं और छड़ें	मूल्य का 70 प्रतिशत"।

[फा. सं. 528/42/86—सी. शु. (टै. यू.]

एम. एन. विश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 1986

No. 246/86—CUSTOMS

G.S.R. 630 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 61/86—Customs, dated the 17th February, 1986, namely.—

In the Table to the said notification,—

(i) against Sl. No. 7, in Column (2), the figures "7213.20", "7215.10", shall be omitted.

(ii) after Sl. No. 7 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely.—

(1)	(2)	(3)	(4)
"7A	7213.20 7214.30 7215.10	Bars and rods of free cutting steel.	70% *ad valorem.*"

[F.No. 528/42/86—Cus. (TU)]

M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986